

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक - 1714 / 12-1 अल्मोड़ा, दिनांक, 30.10.2015.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी
भूमि संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी
देहरादून।

विषय :- कुनीगाड़-हिरूली बाजार से रामपुर-चौखुटिया मो0 मार्ग (प्रस्ताव संख्या ^{2986/2014} ~~10542/2015~~)।

संदर्भ :- आपकी आपत्ति दिनांक 13.10.2015।

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग से सम्बन्ध में क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून की आपत्ति दिनांक 13.10.2015 सूचित ऑन लाइन आपत्तियों का निराकरण करने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 1519/12-1 दिनांक 14.09.2015 के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी अल्मोड़ा के पत्रांक 2351/12-1 दिनांक 28.10.2015 से प्राप्त आख्या के क्रम में बिन्दुवार आख्या निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है-

बिन्दु सं0 1 - डिजिटल मैप संलग्न है।

बिन्दु सं0 2- अंतिम बिन्दु रामपुर-कुनीगाड़ मो0 मार्ग के कि0मी0 3.00 (ग्राम बनोटिया है)

बिन्दु सं0 3- उक्त मोटर मार्ग की फाईल को अपलोड करते समय जो अतिरिक्त सूचनायें प्रेषित की गयी थी उस सूचना में नाम भी अंकित था। इस कारण टिप्पणी कालम में पुनः नाम अंकित करने की आवश्यकता नहीं हुई। टिप्पणी कालम में पुनः नाम अंकित करने के लिए इडिट में प्रस्ताव को पुनः प्राप्त कर नये रूप से अपलोड करना होगा। चूकि पूर्व में अतिरिक्त सूचना के नाम से प्रेषित कर दिये गये थे। इस सम्बन्ध में टिप्पणी कालम में नाम अंकित करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

बिन्दु सं0 4- सयुक्त निरीक्षण आख्या में प्रभावित होने वाली भूमि वन पंचायत भूमि 1.35 है0 दर्शायी गयी है। जिसको भाग II के क्रम सं0 2 में अंकित करने पर ऑन लाईन अपलोड नहीं हो रहा है।

बिन्दु सं0 5- क्षतिपूरक वृक्षारोपण के मानचित्र में अक्षान्तर एवं देशान्तरण अंकित कर दिये गये हैं।

बिन्दु सं0 6- वन भूमि के हस्तान्तरण हेतु संस्तुति की जाती है।

प्रकरण से सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी अल्मोड़ा के पत्रांक 2351/12-1 दिनांक 28.10.2015 की प्रति मय संलग्नकों सहित प्रेषित:-
संलग्न-यथोपरि।

भवदीय

(प्रेम कुमार)

वन संरक्षक,

उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

कार्यालय
प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा
दूरभाष : 05962-230065, फ़ैक्स: 05962-232182 ई-मेल almoraforestdivision@rediffmail.com
पत्रांक 2351 / 12-1021 दिनांक, अल्मोड़ा 28/10-2015

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त
उत्तराखण्ड अल्मोड़ा

विषय— कुनीगाड़-हिरुली बाजार से रामपुर-चौखुटिया मो0 मार्ग (प्रस्ताव सं0 8986/2014)

संदर्भ:- आपकी पत्र सं0 1519/12-1 दि0 14.10.2015।

महोदय,

संदर्भित पत्र के क्रम में लगाई गई आपित्तियों का बिन्दुवार निराकरण सूचना निम्न प्रकार प्रेषित

की जाती है-

बिन्दु सं0 1 - डिजिटल मैप संलग्न है।

बिन्दु सं0 2- अंतिम बिन्दु रामपुर-कुनीगाड़ मो0 मार्ग के कि0मी0 3.00 (ग्राम बनोटिया है)

बिन्दु सं0 3- उक्त मोटर मार्ग की फाईल को अपलोड करते समय जो अतिरिक्त सूचनायें प्रेषित की गयी थी उस सूचना में नाम भी अंकित था। इस कारण टिप्पणी कालम में पुनः नाम अंकित करने की आवश्यकता नहीं हुई। टिप्पणी कालम में पुनः नाम अंकित करने के लिए इडिट में प्रस्ताव को पुनः प्राप्त कर नये रूप से अपलोड करना होगा। चूंकि पूर्व में अतिरिक्त सूचना के नाम से प्रेषित कर दिये गये थे। इस सम्बन्ध में टिप्पणी कालम में नाम अंकित करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

बिन्दु सं0 4- सयुक्त निरीक्षण आख्या में प्रभावित होने वाली भूमि वन पचायत भूमि 1.35 है0 दर्शायी गयी है। जिसको भाग II के क्रम सं0 2 में अंकित करने पर ऑन लाईन अपलोड नहीं हो रहा है।


बिन्दु सं0 5- क्षतिपूरक वृक्षारोपण के मानचित्र में अक्षान्तर एवं देशान्तरण अंकित कर दिये गये हैं।

बिन्दु सं0 6- वन भूमि के हस्तान्तरण हेतु संस्तुति की जाती है।

कृपया उक्त प्रस्ताव में अग्रिम कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्न:- यथोपरि।

भवदीय,


प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत
दूरभाष :- 05966-220035 फ़ैक्स :- 05966-220035 ई-मेल cdpwdrkt@gmail.com

पत्रांक 2548/18सी. दिनांक, रानीखेत, 20/10/ 2015

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा
वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

विषय :- कुनीगाड़-हिरुली बाजार से रामपुर-चौखुटिया मोटर मार्ग निर्माण (प्रस्ताव सं. 8986/2014)।

संदर्भ :- आपका पत्रांक 4231/12-1(2) दिनांक 16.10.2015

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में विन्दुवार आख्या निम्नवत है :-

2. डिजिटल मैप संलग्न है।
2. अन्तिम विन्दु रामपुर-कुनीगाड़ मोटर मार्ग के किमी. 3.00 (ग्राम भनोटिया) है।
2. उक्त मोटर मार्ग की फाईल को अपलोड करते समय जो अतिरिक्त सूचनायें प्रेषित की गयी थी उस सूचना में नाम भी अंकित था। इस कारण टिप्पणी कॉलम में पुनः नाम अंकित करने की आवश्यक नहीं हुई टिप्पणी कॉलम में पुनः नाम अंकित करने के लिये Edit में प्रस्ताव को पुनः प्राप्त कर नये रूप से अपलोड करना होगा। चूँकि पूर्व में अतिरिक्त सूचना के नाम प्रेषित कर दिये गये थे। अतः इस सम्बन्ध में टिप्पणी कॉलम में नाम अंकित करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।
2. संयुक्त निरीक्षण आख्या में प्रभावित होने वाली भूमि वन पंचायत दर्शायी गयी है, जो भाग-2 में आपके स्तर से ही ठीक की जानी है।
2. क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के मानचित्र में अंशान्तर एवं देशान्तर अंकित कर दिये गये है।
2. वन भूमि हस्तान्तरण हेतु संस्तुति आपके स्तर से की जानी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त आख्या विन्दुवार अपने स्तर से नोडल अधिकारी, देहरादून को आन लाईन के माध्यम से प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्न :- पत्रानुसार।

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत
दूरभाष :- 05966-220035 फैक्स :- 05966-220035 ई-मेल cdpwdrkt@gmail.com

पत्रांक 1668 /18सी.

दिनांक, रानीखेत, 21/7/2015

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा
वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

विषय :- कुनीगाड़-हिरुली बाजार से रामपुर-चौखुटिया मोटर मार्ग निर्माण
(प्रस्ताव सं. 8986/2014)।


संदर्भ :- आपका पत्रांक 723/12-1(2) दिनांक 20.7.2015

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में विन्दुवार आख्या
निम्नवत है :-


1. डिजिटल मैप संलग्न है।
2. अन्तिम विन्दु रामपुर-कुनीगाड़ मोटर मार्ग के किमी. 3.00 (ग्राम
भनोटिया) है।
3. आन लाईन प्रस्ताव को बिना EDS में लौटाये हुए अतिरिक्त सूचनाओं का
नाम लिखा जाना सम्भव नहीं है।
4. संयुक्त निरीक्षण आख्या में प्रभावित होने वाली भूमि वन पंचायत दर्शायी
गयी है, जो भाग-2 में आपके स्तर से ही ठीक की जानी है।
5. क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के मानचित्र में अंशान्तर एवं देशान्तर अंकित कर दिये
गये है।
6. आपके स्तर से ही प्रस्ताव की संस्तुति की जानी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त आख्या अपने स्तर से नोडल
अधिकारी, देहरादून को आन लाईन के माध्यम से प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्न :-पत्रानुसार।


अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

प्रायः का नाम :- बुलागाँव तहसील अन्तर्गत गाँव काट काट पुल का खुलवाया कर
 विस्तार मोटर मार्ग के निर्माण हेतु क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु
 चयनित स्थल :- भटकोट सिविल



Legend

Planction Area



(Signature)
 सहायक अभियन्ता
 पिनो एवं लोडिंग विभाग
 रानीखेत

(Signature)
 अधिसासो अभियन्ता
 निर्माण एवं लोडिंग विभाग
 रानीखेत